न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–28.11.2025

मिशल संख्याः– 96 / 2024

उनवानी प्रार्थना पत्र

बन्ना लाल दत्तक पुत्र हरिकिशन जाति जाट उम्र बालिग निवासी भाणोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. लादू पुत्र श्रीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी भाणोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबू लाल मीना
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी
श्री राजेश धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थी स0 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि आराजीयात खाता नम्बर 70 खसरा नम्बर 287 रकबा 0.47 है0, भूमि वाके तनग्राम भाणोली पटवार हल्का बड़ौली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा न0 270 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 285 में से होकर आता जाता रहा है। तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण सं0 2 ने रास्ते को अवरूद्ध कर बंद कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 270 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा न0 285 में से होकर 15 फीट का चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि आराजीयात खाता नम्बर 70 खसरा नम्बर 287 रकबा 0.47 है0, भूमि वाके तनग्राम भाणोली पटवार हल्का बड़ौली तहसील दूनी जिला टोंक पर आने जाने के लिये गै0मु0 270 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा न0 285 में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश धाकड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है–

प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जिस आराजीयात पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी की आराजीयात से चाह रहा है उक्त आराजीयात पूर्व में सामलाती थी जिस पर दोनो पक्षों ने मिलकर ही कुंआ खुदवा रखा है तथा उक्त आराजीयात का मौखिक बंटवारा किया गया तथा उस वक्त ही तय हो चुका था कि उक्त आराजीयात पर आने जाने का वर्तमान खसरा न0 285 व 283 की मेड़ पर से ही आना जाना पडेगा और उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ते की भूमि दोनो पक्षकार बराबर बराबर देंगे और मौखिक बंटवारे के आधार पर ही रिकार्ड में बंटवारा करवा लिया गया। आज प्रार्थी के मन में बेईमानी आ जाने से व खातेदारी में दर्ज कुंअे पर आने जाने हेतु रास्ता चाहता है, जबकि उक्त रास्ते में जितनी जमीन खराब होनी है, उसकी आधी जमीन प्रार्थी अप्रार्थी को देना तय हुआ था, परंतु आज जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रार्थी के मन में लालच व बेईमानी आ जाने के कारण जान बुझकर हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारीज करने योगय है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी आज भी निर्बाध रूप से अपनी आराजीयात पर आता जाता है, परंतु प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी की फसल को आते जाते जानवरों से नुकसान करवाता है प्रार्थी की अपनी आराजीयात पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा न0 285 व 283 की मेड़ पर से है, परंतु प्रार्थी जानबूझकर इरादतन अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थी की आराजीयात से चाहता है, जो कानूनन गलत है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र का चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य मिथ्या मनगढंत इरादतन परेशान करने व आर्थिक नुकसान पहंचाने के उद्देश्य से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा न0 285 व खसरा न0 283 की मेड़ पर से होने के बावजूद जानबूझकर अप्रार्थी की आराजीयात से निकलवाना चाहता है जो सरासर गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 6 कानूनी है, जवाब की कोई आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर मुताबिक जवाब प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हजे खर्चे खारीज किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा न0 285 रकबा 0.34 है0 की दक्षिण सीमा पर होकर वाहन/ट्रेक्टर निकालने हेतु रास्ता वर्तमान में खसरा न0 287 रकबा 0.47 है0 तक पहुचने हेतु उपलब्ध है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी ख0न0 287 में ख0न0 285 की दक्षिण सीमा पर से आ जा रहे है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ता खसरा न0 270 किस्म गै0मु0 रास्ता से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 4 मीटर तथा लम्बाई 80 मीटर कुल क्षेत्रफल 340 वर्गमीटर अर्थात 0.0320 है0 होगा। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 287430/– प्रति0 है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 18400 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 285 रकबा 0.34 है0 मे से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड़

दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने हेतु सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी न0 2 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी आज भी निर्बाध रूप से अपनी आराजीयात पर आता जाता है, परंतु प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी की फसल को आते जाते जानवरों से नुकसान करवाता है प्रार्थी की अपनी आराजीयात पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा न0 285 व 283 की मेड़ पर से है, परंतु प्रार्थी जानबूझकर इरादतन अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के उदेश्य से सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थी की आराजीयात से चाहता है, जो कानूनन गलत है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी ख0न0 287 रकबा 0.47 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अप्रार्थी न0 2 की खातेदारी है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक 233 दिनांक 04.07.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजीयात **खाता नम्बर 70 ख0न0 287 रकबा 0.47 है0, किस्म चाही –2 कुल** किता 1 कुल रकबा 0.47 है0 वाके तनग्राम भाणोली पटवार हल्का बड़ौली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग ख. नं. 285 रकबा 0.34 है0 में से चौड़ाई 4 मीटर तथा लम्बाई 80 मीटर कुल क्षेत्रफल 340 वर्गमीटर अर्थात 0.0320 है0 के लिये वर्तमान डीएलसी दर 287430/– प्रति0 है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 18400 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.11.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड देवली
देवली (टोंक)